न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री महावीर प्रसाद नायक (आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 524/2018

उनवान

1 भैरू पिता भुवाना भील उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.

——————(प्रार्थी)

बनाम

1. प्रहलाद पिता भुरा गुर्जर चांदना उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
2. रामधन पिता सुखानन्द कीर उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
3. गोगा पिता झालमा नायक उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
4. मु.हीरी पत्नी राधाकृष्ण नायक उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
5. माधु पिता झालमा नायक उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा

——————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

श्री अक्षयराज रेबारी.......प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

: : निर्णय : : दिनांक – 04.12.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 30.10.2018 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम खेडा राजपुरा पटवार मण्डल सांगरिया भू0अ0नि0 धनोप तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 71 के आ0न0 222, 229/618, 230, 245, 247, 248, 465, 466, 468 किता 9 कुल रकबा 02–53 हैक्टर भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01.11.2018 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी कम 02 को छोडकर शेष समस्त विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, अवशेष रहे विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी कम 02 का सम्मन लौटकर अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी कम 02 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 02 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थना प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोंण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम खेडा राजपुरा पटवार मण्डल सांगरिया भू0अ0नि0 धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 71 के आ0न0 222, 229/618, 230, 245, 247, 248, 465, 466, 468 किता 9 कुल रकबा 02–53 हैक्टर** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा